

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय गुमला।

अनुसूची - 14 - फारम सं० - 563

आदेश - फलक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1942 का नियम - 129)

सरकार

बनाम

मीर इसराफिल हुसैन वगै०

आदेश फलक तारीख.....से.....तक। जिला - गुमला

वाद सं० :- 31/2020-21

वाद का प्रकार :- अधिहरण (Confiscation)

आदेश


अभिलेख उपस्थापित। पुलिस अधीक्षक, गुमला के पत्रांक-2324/अप० शा० दिनांक-01.10.2020 द्वारा गुमला थाना काण्ड सं०-18/2020 दिनांक-20.01.2020 धारा-414/34 भा०द०वि० एवं 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 एवं 7/13 झारखण्ड खनिज (अवैद्य खनन पर रोक परिवहन और भण्डारण) नियम-2017 के आलोक में अवैद्य रूप से बालू का उत्खनन कर व्यापार करने का आरोप में जप्त महिन्द्र-265DI इंजन नं०-RENW0491, महिन्द्र-B275DI रजिस्ट्रेशननं०-JH07E-0850 एवं सोनालिका-DI35RX इंजन नं०- 3100 FLU 93A804880F-18 को राजसात की कार्रवाई हेतु प्रस्ताव प्राप्त है।


उपरोक्त अधिहरण वाद सं०-31/2020-21 व्यवहार न्यायालय में लंबित होने के कारण संबंधित न्यायालय में वाद का निष्पादन पूर्ण होने तक वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

पुलिस अधीक्षक गुमला/सहायक लोक अभियोजक, गुमला को निदेश दिया जाता है कि व्यवहार न्यायालय में वाद का निष्पादन होने की सूचना अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपलब्ध करायी जाय, ताकि संबंधित न्यायालय द्वारा पारित आदेश के उपरान्त उक्त वाद पर पुनः सुनवाई हेतु आवश्यक कार्य की जा सके।

आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक गुमला/सहायक लोक अभियोजक, गुमला को भेजी जाय।

लेखापित एवं संशोधित


16.01.22
उपायुक्त,
गुमला


16.01.22
उपायुक्त,
गुमला